

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com



फोन:- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्ष: 46 संख्या: 292 प्रभात बीकानेर, गुरुवार 15 मई, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 ₹.

‘बलूचिस्तान ने अपने आप को पाकिस्तान से अलग देश घोषित किया

बलूच प्रतिनिधि मीर यार बलोच ने एक्स पर यह घोषणा करते हुए विश्व से अपील की कि अब “शांत” रहने का समय नहीं है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 मई। बलूचप्रतिनिधि मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित कर दिया है, उन्होंने इस घोषणा का कारण क्षेत्र में दशकों से जारी भारी हिंसा, जबरदस्ती लोगों को उठा ले जाने और मानवाधिकार हनन को बताया।

उन्होंने कहा, “तुम मारोगे, हम निकलेंगे। हम नस्ल बचाने निकले हैं। आओ, हमारा साथ दो। पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान के बलोच लोग सड़कों पर हैं और यह उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है और अब दुनिया सिर्फ मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती।”

भारतीय नागरिकों, खासकर मीडिया, यूट्यूबर्स और बुद्धिजीवियों से उन्होंने अनुरोध किया कि वे बलूचों को “पाकिस्तान के अपने लोग” कहना बंद करें।

उन्होंने कहा, “बलूच नैरेटिव !!प्रिय भारतीय राष्ट्रवादी मीडिया, यू ट्यूब सथी और भारत के बचाव में लगे बुद्धिजीवियों से अनुरोध है कि बलूचों को “पाकिस्तान के अपने लोग” न कहें। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। पाकिस्तान के असली अपने लोग पंजाबी हैं, जिन्हें

■ हालांकि, पाकिस्तान से अलग देश होने के बलूच निवासियों के इस प्रयास को पूर्ण सफलता मिलना कोई आसान काम नहीं है, पर, मीर यार बलोच की विश्व से अपील काफी मार्मिक है।

■ स्वतंत्र होने की इस घोषणा के साथ, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी रिलीज़ की, जो “बलूचिस्तान” के निवासियों के मुंह जुबानी बयानों पर आधारित है।

■ डॉक्यूमेंट्री के अनुसार, दशकों से, “बलूचिस्तान” विश्व की दृष्टि से ओझल सा रहा है। हालांकि, “बलूचिस्तान” में प्राकृतिक संपदा तथा बेशकीमती खनिजों का भंडार है, पर, फिर भी यह क्षेत्र सदा पाकिस्तान के शासकों के रडार पर नहीं आ पाया। अब तक इस अवहेलना के कारण, स्वायत्तता व पहचान के लिये संघर्ष करता रहा है।

कभी भी हवाई बमबारी, जबरन गायब किए जाने या नरसंहार का सामना नहीं करना पड़ा।”

मीर यार बलोच ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर भारत के रुख का पूरा समर्थन भी किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर उस क्षेत्र को खाली करने का दबाव बनाने की अपील की।

इसी बीच, एक नई डॉक्यूमेंट्री

“बलूचिस्तान: द लॉन्ग रोड टू रैजिस्ट्रेंस” भी ध्यान आकर्षित कर रही है। यह फिल्म बलूच नागरिकों के वास्तविक अनुभवों को गहराई से दिखाती है, जिनकी आवाजें लंबे समय से दमन के कारण खामोश थीं।

बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का

सबसे बड़ा और सबसे उपेक्षित प्रांत है, दशकों से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान से वर्चित रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद, यह क्षेत्र गरीबी से त्रस्त है और

लंबे समय से स्वतंत्रता और पहचान की लड़ाई लड़ रहा है।

जबरन गायब कर देना, हिरासत में यातना, गैर-व्याधिक हत्याएं और मीडिया पर सेंसरशिप- बलूच लोगों ने इन सबका सामना किया है। इनमें से कई घटनाएं तो सामने भी नहीं आई हैं। पीड़ितों, गुमशुदा लोगों के परिवारों और कार्यकर्ताओं की गवाही इस संगठित दमन की डरावनी सच्चाई को उजागर करती है।

यह फिल्म भारत की ओर से “ऑपरेशन सिंदूर” (पहलगाम नरसंहार के जवाब में की गई कार्रवाई) के बाद रिलीज़ हुई है। यह याद दिलाती है कि जब दुनिया की सुर्खियां सीमा पार आतंक पर केन्द्रित होती हैं, तब पाकिस्तान को अपनी सीमाओं के भीतर एक मौन युद्ध जारी रहता है।

बलूच नेता की इस घोषणा ने पाकिस्तान के सामने एक नया रणनीतिक संकट खड़ा कर दिया है, जो पहले से ही कई मोर्चों पर जुझ रहा है। आज की यह घोषणा भारत को एक राजनयिक हथियार देती है, जिससे पाकिस्तान को बैकफुट पर लाया जा सकता है।

हालांकि बलूच लोगों के लिए पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान नहीं होगा, फिर भी यह घटनाक्रम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिना विभागीय जांच के कर्मचारी को बर्खास्त नहीं कर सकते

जयपुर, 14 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना विभागीय जांच के, केवल एफआईआर के आधार पर कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता कॉस्टेबल को बिना जांच ही सेवा से बर्खास्त करने

■ हाई कोर्ट ने केवल एफआईआर के आधार पर सेवा से बर्खास्त करने को अवैध करार दिया तथा सभी सेवा परिलाभ के साथ बहाल करने का आदेश दिया।

वाले पुलिस विभाग के आदेश को मनमाना व अवैध करार देते हुए उसे सभी सेवा परिलाभ सहित सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपीलैट अधीार्टी के आदेश को भी रद्द करते हुए कहा कि वह अपील में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने में फेल रहा है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को आजीवन कारावास

जयपुर, 14 मई। पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने नाबालिग को होटल में बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मोनू उर्फ मोईन खान और श्रवण सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 1.04 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार जाटावत और पीडित पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुणाल शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 15 अगस्त,

■ पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 15 अगस्त 2023 को दर्ज मामले में फैसला सुनाया।

2023 को जालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी अपने पिता से किसी बात पर अनबन हो गई थी। यह बात उसकी बहन को पता चलने पर वह उसे जयपुर ले आई और होटल में दो दिन साथ रहीं। इस दौरान, उसकी बहन ने मोनू से, अपना धर्म का भाई बताकर, मिलाया। इसके बाद उसकी बहन उसे वहां यह कहकर छोड़ गई कि मोनू उसका ध्यान रखेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि बहन के जाते ही मोनू ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बंधक बना लिया। अभियुक्त मोनू रोज रात को आता और उसके साथ दुष्कर्म करता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन-बाँग्लादेश धुरी उभर रही है नॉर्थ-ईस्ट में

चीन ने अरुणाचल के कई स्थानों को नया नाम देना शुरू किया तथा इस क्षेत्र को “दक्षिण तिब्बत” बताया

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 मई। युद्धविराम – विवाद, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिदूत बनने के अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दावे ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, के बीच, चीन और बाँग्लादेश भारत के पूर्व के सीमावर्ती राज्यों में परेशानी खड़ी करते प्रतीत हो रहे हैं।

बताया जाता है कि चीन ने अरुणाचल के बहुत से स्थानों के नये नाम रख दिये हैं। भारत ने चीन की इस गतिविधि को “निरर्थक एवं हास्यास्पद” करार दिया है, जिससे सम्बंधित क्षेत्र के भारत का अभिन्न हिस्सा होने की स्थिति (स्टेटस) बदलने वाली नहीं है।

चीन ने दावा किया कि अरुणाचल “दक्षिणी तिब्बत” है। उसने हाल ही में भारतीय राज्य अरुणाचल के विभिन्न स्थानों के नामों की एक सूची जारी की है। इसकी प्रतिक्रिया में, भारत के विदेश मंत्रालय ने आज एक बयान जारी किया,

■ दूसरी ओर बाँग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद युनुस ने भी बाँग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा नॉर्थ ईस्ट के सात राज्यों के लिये “इकोनॉमिक प्लान” का प्रस्ताव रखा है।

■ पिछले दिनों, युनुस ने चीन यात्रा के दौरान टिप्पणी की थी कि नॉर्थ ईस्ट, “लैण्ड लॉक्ड” है तथा समुद्र तक पहुँचने का इस राज्य के पास कोई रास्ता नहीं है। अतः इस क्षेत्र के लोगों को आपस में मिलकर, माल बनाना चाहिये जो चीन को बेचा जायेगा।

जिसमें कहा गया कि “इन स्थानों को नये नाम देने से यह अकाट्य वास्तविकता, जो संदेह से परे है, नहीं बदलेगी कि अरुणाचल भारत का अभिन्न एवं अहस्तान्तरणीय हिस्सा था, है और सदैव रहेगा।

दूसरी ओर, मोहम्मद युनुस के नेतृत्व वाली अन्तरिम बाँग्लादेश सरकार ने एक बार फिर बेसुरा राग अलापते हुये, एक व्यापक आर्थिक एकीकरण योजना प्रस्तावित की है, जिसमें बाँग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा

भारत के सात उत्तर –पूर्वी राज्य सम्मिलित किये गये हैं। गौरतलब बात यह है कि युनुस ने इसमें भारत का जिक्र न करते हुये, केवल पूर्वोत्तर राज्यों का ही उल्लेख किया है। कुछ दिन पहले, अपनी चीन यात्रा के दौरान, यूनुस ने बाँग्लादेश को उत्पादन, लॉजिस्टिक्स तथा व्यापार के क्षेत्र में चीन के प्रमुख क्षेत्रीय पार्टनर के रुप में प्रस्तुत कर दिया था, तथा भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को “लैन्डलॉक्ड” (जमीन से घिरे हुये) करार दिया था। बाँग्लादेश में चीन को

अत्यधिक निवेश के लिये आमंत्रित करते हुये, युनुस ने अपने देश को “महासागर का एकमात्र अभिभावक” बताया था। इस पृष्ठभूमि में देखने पर, जो इस समय बाँग्लादेश की यात्रा पर जाये हुये हैं। युनुस ने हाइड्रोपावर, हैल्युकेयर तथा ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सीमा-पार के सहयोग (क्रॉस बॉर्डर कॉलिबोरेशन) को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस सैक्टर से सम्बंधित सामान संयुक्त रुप से बाँग्लादेश में निर्मित किया जाये तथा चीन को बेच दिया जाये।

अर्थशास्त्री तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, संजीव सान्याल ने यूनुस द्वारा चीन से की गई इस आर्थिक अपील में भारत के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व आईएसस संधू की ओर से बहस

जयपुर, 14 मई। राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को एकल पट्टा प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई। पूर्व आईएसएस जीएस संधू की ओर से मामले में अपना पक्ष रखा गया। वहीं, अदालत ने मामले में गुरुवार को सुनवाई जारी रखना तय किया है। चीफ जस्टिस एमएम

■ संधु की ओर से दलील दी गई कि एकल पट्टा निरस्त होने के बाद एसीबी में शिकायत की गई, जबकि कोई अपराध नहीं बनता है।

श्रीवास्तव की एकलपीठ ने ये आदेश पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, जीएस संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी की ओर से दायर सात आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान, संधु की ओर से अधिवक्ता एसएस होरा ने पक्ष रखा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

CMYK